



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 2090-कार्य-14/पाकालि/2020-59-के/2020

दिनांक: नवम्बर 24, 2020

प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी,
प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ,
प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ,
प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा,
प्रबन्ध निदेशक, केस्को कानपुर,
प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय: लगातार एक माह अथवा इससे अधिक समयावधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिकों की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

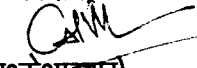
महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि कुछ कार्मिक बिना किसी सूचना/पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से दीर्घ अवधि तक अपने कार्यस्थल से अनुपस्थिति हो जाते हैं/चल रहे हैं। इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तथा अवकाश स्वीकृति हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को अग्रसारित कर दी जाती है, जो कि कदापि उचित नहीं है, अपितु अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध समय से अनुशासनात्मक कार्य प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया जाना चाहिए। इस कारण अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध कारपोरेशन मुख्यालय स्तर पर ससमय अनुशासनिक कार्यवाही आदि भी प्रारम्भ नहीं हो पाती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि अपने डिस्काम में कार्यरत उन कार्मिकों की सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें जो कि लगातार एक माह अथवा इससे अधिक समयावधि से बिना किसी सूचना एवं पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित चल रहे हैं।

कृपया उपरोक्त सूचना कारपोरेशन मुख्यालय को शीर्ष प्राथमिकता पर 30.11.2020 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(ए०के०पुरवार)

निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या: 2090(1)-कार्य-14/पाकालि/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित है :-

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), मध्यांचल/दक्षिणांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल वि०वि०नि० लि०, लखनऊ/आगरा/वाराणसी/मेरठ एवं केस्को, कानपुर तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर सचिव (I)/(II)/(III) उ०प्र०पाकालि, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) उ०प्र०पाकालि, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता।
5. उपमहाप्रबन्धक (लेखा)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ०प्र०पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त उपसचिव/अनुसचिव, उ०प्र०पाकालि, शक्ति भवन (मु०), लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।


(आ०के०गुप्ता)
उपसचिव (कार्य)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या: 2091-कार्य-14/पाकालि/2020-59-के/2020

दिनांक: नवम्बर 24, 2020

1. अपर पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ0प्र0पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ।
3. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पाकालि0, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, पावर मैनेजमेन्ट सेल, उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, नियोजन/पी0पी0ए0/वाणिज्य/आर0ए0यू0/कम्प्यूटराइजेशन यूनिट/रेस्पो/सी0एम0यू0डी0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, सामग्री-प्रबन्ध/पेंशन सेल/अनुरक्षण इकाई/ट्रस्ट उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (मुख्यालय), उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (सम्बद्ध), मा0 ऊर्जा मंत्री कार्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (पेंशन सेल), उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0)/ (आर0-ए0पी0डी0आर0पी0), शक्ति भवन, लखनऊ।
12. सचिव (ट्रस्ट), उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय: लगातार एक माह अथवा इससे अधिक समयावधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिकों की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

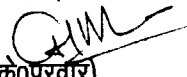
महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि कुछ कार्मिक बिना किसी सूचना/पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से दीर्घ अवधि तक अपने कार्यस्थल से अनुपस्थिति हो जाते हैं/चल रहे हैं। इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तथा अवकाश स्वीकृति हेतु कारपोरेशन मुख्यालय को अग्रसारित कर दी जाती है, जो कि कदापि उचित नहीं है, अपितु अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध समय से अनुशासनात्मक कार्य प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया जाना चाहिए। इस कारण अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध कारपोरेशन मुख्यालय स्तर पर ससमय अनुशासनिक कार्यवाही आदि भी प्रारम्भ नहीं हो पाती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि अपने डिस्काम में कार्यरत उन कार्मिकों की सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें जो कि लगातार एक माह अथवा इससे अधिक समयावधि से बिना किसी सूचना एवं पूर्वानुमति के अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित चल रहे हैं।

कृपया उपरोक्त सूचना कारपोरेशन मुख्यालय को शीर्ष प्राथमिकता पर 30.11.2020 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

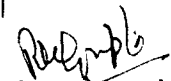

(ए0के0पुरवार)

निदेशक(का0प्र0एवं प्रशा0)

संख्या: 2091(1)-कार्य-14/पाकालि/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्मिकों को अनुरोध/आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया प्रेषित है :-

1. अपर सचिव (I)/(II) (III) उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. समस्त उपसचिव/अनुचिव उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वि0), उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ एवं सूचना पट।


(आर0के0गुप्ता)
उपसचिव (कार्य)